न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—3/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1—अशोक कुमार पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—महेश चन्द्र पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—अर्जुन लाल पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—नवरतन मल पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—सुरेन्द्र कुमार पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6—विनोद कुमार पिता धर्मचन्द सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7—सुशीला पुत्री धर्मचन्द सुखलेचा पत्नि पुनम कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—ग्राम पंचायत रायुपर जरिये सरपंच रायुपर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

उपस्थित

1.चान्दमल/हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे पुराने खाते नम्बर 250 की आराजी नम्बर 2103, 2104, 2105 कुल रकबा 15 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी के पिता धर्मचन्द पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की संवत 2037 से 2040 तक की जमाबन्दी में खाता संख्या 250 में दर्ज थी। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त वर्णित भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने हेतु आवेदन करने पर जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा के आदेश से रेवेन्यु रिकार्ड में उक्त वर्णित जमाबन्दी में इन्तकाल नम्बर 1536 एवं 1538 दिनांक 19.01.1983 में परिवर्तन का अंकन किया गया। इस प्रकार पुरा रकबा 15 बिस्वा उक्त वर्णित नम्बर का आबादी भूमि में परिवर्तन हो गया प्रमाणित प्रतिया ई.न. 1536, 1538 पेश है। उक्त खाता नम्बर 250 संवत 2037 से 2040 जमाबन्दी के बाद भू प्रबन्धन हुआ। भू प्रबन्धन अधिकारियो द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम खातेदारी हक से दर्ज उक्त वर्णित आराजी नम्बर 2103, 2104, 2105 कुल रकबा 0.15 बिस्वा के नये नम्बर 3818 कायम करते हुए अन्य आराजियात नम्बर 2098, 2109, 2099, 2102, 2103, 2104, 2105 कुल रकबा 0.35 है0 बनाते हुए नया खाता नम्बर 985 राज्य सरकार के नाम पुरे गांव की भूमि का कायम करते हुए सरकारी व व्यक्तिगत खातेदारी की आबादी में परिवर्तन सभी भूमियो को इस खाते में अंकित करते हुए पुरे खाते नम्बर 985 में वर्णित भूमियों को ग्राम पंचायत रायुपर की आबादी हेतु दर्ज रिकार्ड कर दी गई जिसमे मेरे पिता के नाम की खातेदारी के उक्त वर्णित भूमिया आराजी नम्बर 2103, 2104, 2105 कुल रकबा 0.15 है0 जिसका नया नम्बर 1838 कायम किया जाकर अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 1838 कुल रकबा 0.35 है0 बना दिया है। इस 0.35 मे से 0.15 है0 रकबा मेरे पिता के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य का था जिसको ग्राम पंचायत की रायपुर की आबादी भूमि बनाने का राज्य सरकार को कानुनन कोई अधिकार

को हो गया। उक्त वर्णित पुराने खाते नम्बर 250 में
ही था। मेरे पिता का देहान्त दिनांक 09.05.2018 को हो गया। उक्त वर्णित पुराने खाते नम्बर 250 में
राजी नम्बर 2103, 2104, 2105 से लगी हुई ही पुरानें खाता नम्बर 611 की आराजी नम्बर 2109
रकबा 5 बिस्वा प्रार्थीगण के दादाजी लक्ष्मीलाल सुखलेचा पिता रिकबदास जी के नाम खातेदारी हक से
सम्वत 2037 से 2040 की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड थी को भी नये बनाये गये खाता नम्बर 985 आराजी
नम्बर 1838 कर दि‍ इस प्रकार 15 बिस्वा भूमि मेरे पिताजी के खातेदारी की व 5 बिस्वा भुमि मेरे
दादाजी के खातेदारी की कुल 1 बीघा भूमि मिली होने से व हमारा संयुक्त परिवार होने से कदिमी मेरे
पिता व मेरे दादाजी के जीवनकाल सक उपयोग उपभोग करते चले आ रहै है तथा पुरी 1 बिघा भूमि
के चारो तरफ कोट बना होकर फाटक लगी हुई है इसके हर समय हमारा ताला लगा रहता है। मेरे
दादाजी व पिताजी की मृत्यू उपरान्त हम सभी उनके वारीसान कुल 2 बिघा भूमि का संयुक्त रूप से
उपयोग उपभोग करते चले आ रहै आज भी हम सभी का संयुक्त रूप से कब्जा है। हमारे दादाजी व
पिताजी के देहान्त के बाद हक अनुसार कुल 1 बीघा भूमियान का वारिसान के मध्य विभाजन कराने
हेतु पुराने नम्बरों से नये नम्बरो की जानकारी की व नये नम्बरो की जानकारी कर तथा पुराने व नये
नम्बरों की जमाबन्दी की नकल दिंनाक 03.04.2019 को प्राप्त की तो उक्त सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी
हुई हमारे पिता की खातेदारी भूमि को उनके वारीसान पिता पुत्रियो के नाम पुनः पूर्वत खातेदारी की
हक से दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा। दादाजी लक्ष्मीलाल जी
की खातेदारी की भूमि उनके वारीसान के नाम पूनः खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु उनके वारिसान
की और से पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाता नम्बर 985 मे उक्त वर्णित आराजी नम्बर
1838 नये नम्बर रकबा 0.35 है० पर मे से पिता के नाम के खाते की पुराने खाता नम्बर 250 में वर्णित
खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 2103, 2104, 2105, कुल रकबा 0.15 बिस्वा शामिल कर दियाँ
गया है व राज्य सरकार के खाते में डालकर ग्राम पंचायत रायपुर आबादी हेतु का अंकन कर दिया है
को पुनः पिता धर्मचन्द जी के वारिसान जिनका नाम बराबर खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने का
आदेश प्रदान करावें व नये नम्बर 1838 आबादी ग्राम पंचायत रायपुर के नाम अभिलिखित 0.35 है० मे
से 0.15 है० कमी की जाकर हम वारिसान के नाम नये खाता नम्बर व नये बटा नम्बर लगाकर
जमाबन्दी में दर्जकराये जाने าक आदेश भी प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.04.2019 को दर्ज रजिस्टर
किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा
136 एलआरएक्ट प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर
सामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा संसोधित टाईटल पेश किया जो सामिल पत्रावली
किया गया संसोधित टाईटल के अनुसार अधिकार पत्र पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।
नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या एक द्वारा जवाब पेश किया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किये जाने में काई आपत्ती नही बतायी गई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या दो
तहसीलदार द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या दो तहसीलदार
रायपुर द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 के
जमाबन्दी के खाता संख्या 250 अंकित आराजी नम्बर 2105 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 2103 रकबा 13
बिस्वा आराजी नम्बर 2104 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार
धर्मचनद पिता लक्ष्मीलाल महाजन सा.दे. के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी जो कि जरिये ईन्तकाल
नम्बर 1536,1538 दिनांक 09.01.1983 से आबादी में परिवर्तन होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में
दर्ज की गई जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत रायपुर के खाते में आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है० किस्म
गैमु आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी रकबे का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:-(1) हाल विवरण
आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 हैक्ट. (2) गत विवरण आराजी नम्बर 2098 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर
2109 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 2099 रकबा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 2102 रकबा 5 बिस्वा आराजी
नम्बर 2103 रकबा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 2104 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 2105/1 रकबा 1 बिस्वा

राजी नम्बर 2105 रकबा 1 बिस्वा इस पगकार अत आराजी नम्बर 2103,2104एवं 2105 मी. कुल रकबा
बिस्वा जो कि रूपान्तरण से 0.16 हैक्ट. बनता है जो हाल आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 हैक्ट. के
सम्मिलित होने से एवं गत आराजी नम्बर 2109 रकबा 5 बिस्वा का क्षेत्रफल 0.06 है0 कुल 0.21 है0 रकबा
उक्त आबादी भूमि मे से ग्राम पंचायत की एनओसी. प्राप्त होने पर पुनः तत्कालीन खातेदार/उनके वारीसान
के नाम प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रस्तावित संसोधन अनुसार संसोधित किया जाना उचित है।

मैने पत्रांवली एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया तथा
बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्तमान
राजस्व रेकार्ड एवं गत राजस्व रेकार्ड का मिलान किया तो पाया गया कि ग्राम रायपुर की आराजी
नम्बर 1838 रकबा 0.35 है0 ग्राम पंचायत रायपुर आबादी भूमि मे से 0.16 है0 आबादी भूमि प्रार्थीगण के
नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे
सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी की आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है0 ग्राम
पंचायत रायपुर आबादी भूमि मे से 0.16 है0 आबादी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश
दिया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा